(187)

संख्या–769 /XV-2/8(05)/2007

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(पिथौरागढ़ को छोड़कर),
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 22 जून, 2011

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए मत्स्य विभाग को जलाशयों का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त निदेशक, मत्स्य विभाग के पत्र संख्या–265/जला0वि0/2011–12, दिनांक 23–05–2011 के संदर्भ में एवं प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–03–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में मत्स्य विभाग को जलाशयों का विकास योजना हेतु जिला सैक्टर चालू योजनान्तर्गत ₹ 11.87 लाख (रूपये ग्यारह लाख सतासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न जनपदवार प्रदिष्टि किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

आयोजनागत

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रमांक	जनपद	धनराशि	आहरण वितरण अधिकारी
1.	नैनीताल	1.19	सहायक निदेशक, मत्स्य हल्द्वानी (नैनीताल)
2.	ऊधमसिंहनगर	1.25	–तदैव–
3.	अल्मोड़ा	1.00	सहायक निदेशक, मत्स्य अल्मोड़ा
4.	बागेश्वर	1.00	–तदैव–
5.	चम्पावत	1.00	–तदैव–
6.	देहरादून	0.83	निदेशक, मत्स्य, देहरादून
7.	पौड़ी	1.20	सहायक निदेशक, मत्स्य चमोली
8.	टिहरी	0.65	सहायक निदेशक, मत्स्य उत्तरकाशी
9.	चमोली	0.98	सहायक निदेशक, मत्स्य चमोली
10.	उत्तरकाशी	1.00	सहायक निदेशक, मत्स्य उत्तरकाशी
11.	रूद्रप्रयाग	0.75	सहायक निदेशक, मत्स्य चमोली
12.	हरिद्वार	1.02	सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार।
	योग–	**11.87**	

1. उक्त जनपदवार निर्गत स्वीकृति सम्बन्धित सहायक निदेशक, मत्स्य के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी को स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप किया जायेगा।

2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, कय सम्बन्धी शासनादेशों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति उपलब्ध कराई जायेगी।

5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

6. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जाये एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) की अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त की जा रही धनराशि में 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यों पर तथा 20 प्रतिशत नये निर्माण कार्यों पर व्यय की जाये।

2–उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोजनागत–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–9102–जलाशयों का विकास–42 –अन्य व्यय के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3–यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–03–2011 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–769 /XV-2/8(05)/2007तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु।
4. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
5. निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, (पिथौरागढ़ को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।